

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक-26.06.2015 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कमजोर रहने के फलस्वरूप सामान्य से कम वर्षा के आलोक में सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति :-

1. विकास आयुक्त
2. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग,
4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
5. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग
6. सचिव, उर्जा विभाग
7. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
8. निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
9. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग
10. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
11. अधिक्षण अभियंता (निदेशक), सिंचाई मोनेटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग

दक्षिण-पश्चिम मानसून 2015 से राज्य में अल्प वर्षापात/सुखाड़ की संभावना को देखते हुए आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में विभागवार समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो निम्नवत है :-

1. भारत मौसम विज्ञान विभाग

भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के आगमन की सूचना देते हुए बताया कि राज्य में मॉनसून प्रवेश कर चुका है। दिनांक 17 जुलाई के पश्चात राज्य में सामान्य वर्षापात की सम्भावना है। माह जून-जुलाई के तुलना में माह अगस्त-सितम्बर में वर्षापात में कमी अधिक होगी।

2. कृषि विभाग

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि अबतक धान की बिचड़े का आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध 37.27 प्रतिशत, धान का आच्छादन 0.81 प्रतिशत एवं मक्का का आच्छादन 8.94 प्रतिशत हुआ है। मानसून की कमजोर स्थिति के मद्देनजर धान के उत्पादन के साथ-साथ बड़े क्षेत्रफल में मक्का के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा। खरीफ 2015 में सामान्य से कम वर्षापात के पूर्वानुमान के आलोक में राज्य में 350000 हेक्टेयर क्षेत्र में आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के आच्छादन का कार्यक्रम है। सिंचाई के

लिए डीजल अनुदान के अन्तर्गत ₹769.06 करोड़ एवं आकस्मिक फसल योजना के अन्तर्गत ₹24.28 करोड़ कुल ₹793.34 करोड़ की राशि की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार को अवगत कराया जाए एवं डीजल सब्सिडी के वितरण की कार्रवाई में तेजी लाया जाए। साथ ही डीजल सब्सिडी वितरण संबंधी विज्ञापन राज्य के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित कराया जाए। पूर्व के वर्षों की भांति किसानों के सलाह हेतु कृषि वैज्ञानिकों को क्षेत्र में भेजा जाए। चारे के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रखंडवार आच्छादन प्रतिवेदन एवं वर्षापात का प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाए।

3. लघु जल संसाधन विभाग

प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि सिंचाई हेतु 10000 राजकीय नलकूपों के विरुद्ध मात्र 2800 नलकूप ही कार्यरत है। जिससे 1.12 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा सकता है। यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों को चालू करवाने की कार्रवाई की जा रही है। निजी नलकूप लगाने की गति तेज करने हेतु डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है। साथ ही Channels की मरम्मत का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया की नलकूपों की मरम्मत एवं Channels की मरम्मत अविलम्ब पूरी की जाय और साथ में प्रत्येक जिले में कम से कम पाँच अतिरिक्त मोटरपम्प और लघु मरम्मत के लिए आवश्यक कलपूर्ज आरक्षित कर रखने की व्यवस्था की जाए ताकि आवश्यकतानुसार मरम्मत अविलम्ब हो सके। प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग से उपर्युक्त के संबंध में एक कार्ययोजना तथा प्रत्येक सप्ताह बैठक में नलकूपों से सिंचित होने वाले क्षेत्रफल तथा यांत्रिक एवं विद्युत दोष से बंद पड़े नलकूपों के स्थिति का प्रतिवेदन की मांग की गयी। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि प्रति नलकूप कितनी सिंचाई हुई है एवं नलकूपों से कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई है इसका विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक बैठक में उपलब्ध कराया जाए। साथ ही राज्य में स्थित निजी नलकूपों का सर्वे कराया जाए।

4. ऊर्जा विभाग

सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं तथा 71 जले हुए ट्रांसफॉर्मर के विरुद्ध 41 ट्रांसफॉर्मर को बदल दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अल्पवर्षापात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्बाध रूप से 6 से 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की कार्य योजना तैयार कर ली जाय तथा ट्रांसफॉर्मर की खराबी से बंद पड़े नलकूपों को शीघ्र उर्जान्वित करने की कार्रवाई की जाए।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा हर जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के 5 चापाकलों के भू-जलस्तर की मोनेटरिंग की जा रही है। राज्य के दक्षिण भाग के 17 जिलों में माह मई 2013 की तुलना में किसी भी जिला में औसतन भू-जल स्तर में गिरावट की सूचना नहीं है। माह जून 2014 की तुलना में राज्य के 9 जिलों में यथा रोहतास, औरंगाबाद, कैमुर, बक्सर, भागलपुर, भोजपुर, शेखपुरा, जमुई एवं बांका में जलस्तर में 1 से 3 फीट गिरावट हुई है। नये चापाकलों का अधिष्ठापन एवं पुराने चापाकलों की लघु मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण आदि का कार्य ससमय पूरा कर लिया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर तथा आपसी समन्वय स्थापित कर भू-जल स्तर का प्रतिवेदन तैयार करेंगे। यह भी ध्यान दिया जाय कि गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति किया जाय और जहां बोरिंग पुराना हो गया है उसे मरम्मत करने की अविलम्ब कार्रवाई की जाय। साथ ही टैंकों से पानी पहुँचाने हेतु आकस्मिक योजना तैयार कर ली जाए। उनके द्वारा वर्ष 2013 में जिस विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिया जाता था उसी प्रपत्र में प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि पशु दवा जिलों में उपलब्ध है। वर्षा की कमी के कारण पशु चारे की कमी होना संभावित है। वर्षा के अभाव में पशुओं के लिए जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि राजकीय नलकूप, तालाब, जलाशय को चिह्नित कर पशु शिविर स्थापित करने की व्यवस्था की कार्य योजना तैयार कर ली जाय। साथ ही सूखे चारे की आपूर्ति हेतु स्रोत चिह्नित कर लें एवं निविदा आमंत्रित कर पशु चारा का दर निर्धारण की कार्रवाई शीघ्र कर ली जाए।

7. जल संसाधन विभाग

अधिक्षण अभियंता (निदेशक), सिंचाई मोनेटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि कोशी नदी में कुल 103340 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है। पूर्वी कोशी एवं पश्चिम कोशी नहर प्रणालियों में क्रमशः 2800 तथा 500 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। गंडक नदी में वर्तमान में कुल 59950 घनसेक जलश्राव प्रवाहित हो रहा है, जिसमें से तिरहुत नहर प्रणाली में 5600 घनसेक, दोन नहर प्रणाली में 200 घनसेक एवं त्रिवेणी नहर प्रणाली में 150 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में 7000 घनसेक जलापूर्ति की जा रही है जिसमें से सारण मुख्य नहर प्रणाली में 1250 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है। सोन नदी के इन्द्रपुरी बराज में 10050 घनसेक जलश्राव उपलब्ध है जिसमें से पूर्व नहर प्रणाली में 3040 घनसेक तथा पश्चिमी नहर प्रणाली में 7010 घनसेक जलश्राव दिया जा रहा है।

प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण की स्थिति निम्नवत है:-

क्र०	जलाशय का नाम	कुल संचयन क्षमता	दिनांक-19.06.2015 की स्थिति (फीट में)	दिनांक-26.06.2015 की स्थिति (फीट में)
1	चन्दन	110000	445.50	448.70
2	बदुआ	89000	366.70	366.20
3	ओढ़नी	33550	392.80	392.80
4	ऑजन	20030	364.00	367.00
5	बेलहरना	11805	Below D.S.L	Below D.S.L
6	खड़गपुर झील	13200	206.80	206.80
7	विलासी	23400	287.00	287.10
8	मोरवे	10800	246.50	246.00
9	नागी	7700	Below D.S.L	Below D.S.L
10	गरही जलाशय	68500	523.30	523.20
11	कोहिरा	22210	Below D.S.L	Below D.S.L
12	बटाने	48600	Below D.S.L	Below D.S.L
13	फुलवरिया	41563	568.00	568.80
14	नकटी जलाशय	11320	Below D.S.L	Below D.S.L

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि किस नहर प्रणाली एवं जलाशय से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो रही है तथा कितना पानी दिया जा सकता है उसका क्षेत्रवार आकलन कर प्रतिवेदित करें और नहर की सभी वितरणी को ठीक करा लें और बांधों की मरम्मत भी सुनिश्चित कर लें। सभी गेट सही है कि नहीं यह भी देख लें तथा नहरों से अन्तिम छोर तक सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। उनके द्वारा वर्ष 2013 में जिस विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिया जाता था उसी प्रपत्र में प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

9. ग्रामीण विकास विभाग

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बताया गया कि मनरेगा के अंतर्गत सभी पंचायतों में शेल्फ ऑफ वर्क तैयार कर लिया गया है। निदेशित किया गया कि प्रत्येक पंचायतों में water recharge की योजनाएँ, यथा, नाला, तालाब, वृक्षारोपण की योजनाएँ चलाने की कार्य योजना तैयार कर ली जाए।

10. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मुख्य सचिव के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को शताब्दि अन्न कलश योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पंचायत तथा शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 2 - 2

क्वीटल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिन्हित जलप्रणाली विक्रेता के पास रखवाने का निदेश दिया गया है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी। अगली बैठक दिनांक 03.07.15 को 5.30 बजे अपराहन आहुत करने का निर्णय लिया गया।

ह0/-
(एस0के0नेगी)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07/2014.....²⁴⁶²...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-11/7/15

प्रतिलिपि: कृषि उत्पादन आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ कृषि विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ उर्जा विभाग/खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग/ निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग/ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(सुनील कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0-07/2014.....²⁴⁶²...../आ0प्र0

पटना-15, दिनांक-11/7/15

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव